विज्ञप्ति

विज्ञप्ति संख्या : 3596/उ0आ0वि0/अधि0/2016–17

दिनांक : 31 दिसम्बर, 2016

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के मुख्य परिसर एवं हरिद्वार स्थित ऋषिकुल/गुरूकुल परिसरों के आयुर्वेदिक कालेजों एवं चिकित्सालयों में विभिन्न शैक्षिक/तकनीकी संवर्गों के रिक्त पदों को नियमित आधार पर (मैरिट/लिखित/साक्षात्कार) भरे जाने हेतु अभ्यर्थियों से विश्वविद्यालय की वेबसाईट के www.uau.ac.in के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भरकर शुल्क व समस्त वांछित संलग्नकों सहित उन्हें दिनांक 13.02.2017 की अपरान्ह: 5:00 बजे तक मात्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। संवर्गवार रिक्त पदों का आरक्षणानुसार विवरण निम्नवत् है :–

शैक्षणिक संवर्ग				
Post Code	Departments	Professor Pay Scale – Rs. 37400-67000 (AGP 10000) (A)	Associate Professor Pay Scale – Rs. 37400-67000 (AGP 9000) (B)	Assistant Professor Pay Scale – Rs. 15600-39100 (AGP 6000) (C)
01	SAMHITA SAMSKRIT AND SIDDHANT	02 (01 GEN, 01 SC)	05 (03 GEN, 01 SC, 01 OBC)	05 (03 GEN, 01 SC, 01 OBC)
02	SHARIR RACHNA	02 (01 GEN, 01 SC)	04 (02 GEN, 01 SC, 01 OBC)	01 (01 SC)
03	SHARIR KRIYA	03 (02 GEN, 01 OBC)	04 (02 GEN, , 01 SC, 01 ST)	02 (01 GEN, 01 OBC)
04	DRAVYA GUNA	03 (02 GEN, 01 SC)	04 (03 GEN, 01 SC)	04 (01 GEN, 01 SC, 01 ST, 01 OBC)
05	RAS SHASTRA	03 (01 GEN, 01 OBC , 01 ST)	04 (02 GEN, 01 OBC, 01 SC)	-
06	ROG NIDAN	02 (01 GEN , 01 SC)	04 (01 GEN, 01 OBC, 01 SC, 01 ST)	03 (01 GEN , 01 OBC, 01 SC)
07	SWASTHA VRITTA	03 (02 GEN, 01 OBC)	03 (02 GEN, 01 SC)	04 (02 GEN, 01 SC, 01 OBC)
08	AGAD TANTRA	03 (02 GEN, 01 ST)	04 (03 GEN , 01 OBC)	03 (02 GEN, 01 SC)
09	KAUMAR BHRITYA	03 (02 GEN, 01 SC)	03 (01 GEN, 01 SC, 01 OBC)	04 (02 GEN, 01 OBC, 01 SC)
10	STREE AND PRASUTI	03 (02 GEN, 01 OBC)	04 (03 GEN, 01 SC)	07 (03 GEN, 02 OBC, 02 SC)
11	SHALYA	02 (01 GEN, 01 SC)	04 (02 GEN, 01 OBC, 01 SC)	02 (02 GEN)
12	SHALAKYA	03 (01 GEN, 01 OBC, 01 SC)	05 (03 GEN, 01 ST, 01 OBC)	05 (02 GEN, 01 OBC, 01 SC, 01 ST)
13	KAYA CHIKITSA	03 (02 GEN, 01 OBC)	03 (01 GEN, 02 SC)	05 (02 GEN , 02 SC, 01 OBC)
14	PANCHKARMA	02 (01 GEN, 01 SC)	03 (01 GEN, 01 SC, 01 OBC)	05 (02 GEN, 01 OBC, 02 SC)
15.	BIOTECHNOLOGY	-	-	01 (GEN)
16.	CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY	-	-	01 (OBC)
17.	HUMAN AND AYURVEDIC BIOLOGY	-	-	01 (SC)
18.	CLINICAL PHARMACOLOGY	-	-	01 (GEN)
19	PHYTOCHEMISTRY	-	-	01(GEN)

चिकित्सालय / तकनीकी संवर्ग

पद कोड़	पदनाम	वेतनमान	पदों की कुल संख्या	आरक्षण की स्थिति
20	उपचिकित्साधीक्षक	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400	03	02 GEN, 01 SC
21	आकस्मिक चिकित्साधिकारी / आवासीय चिकित्साधिकारी / हाऊस ऑफिसर / क्लीनिकल रजिस्ट्रार	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400	24	15 GEN, 05 SC, 03 OBC, 01 ST
22	मॉर्डन मेडिकल स्पैशलिस्ट	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400	03	02 GEN, 01 SC
23	सर्जिकल स्पेशलिस्ट	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400	03	02 GEN, 01 OBC
24	गायनेक्लॉजिस्ट	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400	03	02 GEN, 01 SC
25	एनेस्थेस्टिस्ट	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400	03	02 GEN, 01 OBC
26	ऑफ्थेलमोलॉजिस्ट	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400	03	02 GEN, 01 SC
27	पीडियाट्रिशीयन	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400	03	02 GEN, 01 ST
28	रेडियोलॉजिस्ट	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400	05	03 GEN, 01 SC, 01 OBC
29	पैथोलॉजिस्ट	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400	03	02 GEN, 01 OBC
30	डेन्टिस्ट	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400	03	02 GEN, 01 SC (01 पद महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित)
31	माइक्रोबायोलॉजिस्ट	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	02	01 GEN, 01 SC
32	अनुदेशक (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा)	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	02	01 GEN, 01 SC (01 पद महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित)
33	फिजियोथेरेपिस्ट	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	03	02 GEN, 01 SC (01 पद महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित)
34	स्टाफ नर्स	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	11	07 GEN, 02 SC, 01 OBC, 01 ST (केवल महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा)
35	ओ0टी0 नर्स	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	03	02 GEN, 01 SC (केवल महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा)
36	मिडवाईफ	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	03	02 GEN, 01 OBC (केवल महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा)
37	पंचकर्म नर्स	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	03	01 OBC, 02 GEN (केवल महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा)
38	एक्सरे टेक्नीशियन	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	01	01 GEN
39	प्रयोगशाला तकनीशियन	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	06	04 GEN, 01 OBC, 01 SC
40	एनालायटिकल कैमिस्ट	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	03	01 SC, 02 GEN
41	ओ0टी0 टैक्नीशियन	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	06	04 GEN, 01 ST, 01 OBC
42	रजिस्ट्रेशन डाटा एन्ट्री आपरेटर	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000	06	04 GEN, O1 SC, 01 OBC
43	स्टोर कीपर	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000	03	02 GEN, 01 SC

नोट :–

(1) पदों की संख्या बिना पूर्व सूचना के घटाई, बढ़ाई अथवा सम्पूर्ण विज्ञप्ति / आंशिक विज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है, तद्नुसार आरक्षण की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार उत्तर योग्य नहीं होगा।

(2) शैक्षणिक संवर्ग के पदों (पद कोड संख्या 1 से 19) पर विषयवार / पदवार अत्यधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में विश्वविद्यालय देहरादून केन्द्र में लिखित परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। तदोपरान्त लिखित परीक्षा में प्राप्तकों के आधार पर तैयार की गई श्रेष्ठता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को पदवार / विषयवार आवश्यकता पड़ने पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मेरिट / लिखित / साक्षात्कार परीक्षा के आयोजन के संबंध में समस्त अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होंगे तथा विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

(3) चिकित्सालय / तकनीकी संवर्ग में (पद कोड संख्या 20 से 33 तक) अंकित पदों पर अत्यधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में विश्वविद्यालय देहरादून केन्द्र में लिखित परीक्षा भी आयोजित

की जा सकती है। तदोपरान्त लिखित परीक्षा में प्राप्तकों के आधार पर तैयार की गई श्रेष्ठता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को पदवार/विषयवार आवश्यकता पड़ने पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मेरिट/लिखित/साक्षात्कार परीक्षा के आयोजन के संबंध में समस्त अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होंगे तथा विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

(4) पोस्ट कोड संख्या 34 से 43 तक अंकित पदों पर चयन मात्र मैरिट के आधार पर होगा। मेरिट इन्डेक्स के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार प्राप्त आवेदनों की मेरिट इन्डेक्स तैयार किया जाएगा :–

क्र.सं.	पदनाम	अधिकतम अंक	मेरिट सूची तैयार किये जाने हेतु संबंधित परीक्षावार प्राप्तांको के प्रतिशत का आधार
1.	स्टाफ नर्स	100	1) क्र.सं. 1 से 8 हेतु हाईस्कूल–30%, इण्टरमीडिएट–30% एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम (सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक)–40% 2) क्र.सं. 9 एवं 10 हेतु हाईस्कूल–50% एवं इण्टरमीडिएट–50% (ऑफिस मैनेजमेन्ट के डिप्लोमाधारकों को वरीयता दी जायेगी)
2.	ओ0टी0 नर्स		
3.	मिडवाईफ		
4.	पंचकर्म नर्स		
5.	एक्सरे टेक्नीशियन		
6.	प्रयोगशाला तकनीशियन		
7.	एनालायटिकल कैमिस्ट		
8.	ओ0टी0 टैक्नीशियन		
9.	रजिस्ट्रेशन डाटा एन्ट्री आपरेटर		
10.	स्टोर कीपर		

(5) जिन अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञप्ति संख्या 3296/उ0आ0वि0/अधि0/2015–16 दिनांक 06 दिसम्बर, 2016 के माध्यम से से स्टाफ नर्स/पंचकर्म सहायक/एक्स–रे तकनीकीशियन/ प्रयोगशाला सहायक के पदों के सापेक्ष विश्वविद्यालय में ऑनलाईन माध्यम आवेदन कर निर्धारित समय–सीमान्तर्गत आवेदन पत्र पेषित किया गया है, उन अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

2– पदों हेतु शैक्षिक योग्यता :–

(1) पद कोड संख्या 01 से 14 तक अंकित पदों हेतु न्यूनतम–अनिवार्य/अधिमानी अर्हता का विवरण निम्नवत् है :–

(क) अनिवार्य अर्हता–

(1) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।

(2) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की अनुसूचियों में सम्मिलित सबंधित विषय अथवा विशिष्टता में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ख) अनुभव–

प्राध्यापक (प्रोफेसर) के पद हेतुः– सम्बन्धित विषय में कुल दस वर्षों का प्रवक्ता या सहायक प्रोफेसर के रूप में शिक्षण अनुभव अथवा सम्बन्धित विषय में सह–आचार्य (प्रवाचक) के रूप में पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम दस शोध पत्रों सहित केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषदों अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा के कुल दस वर्षो का अनुसंधान अनुभव।

सह–आचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) के पद हेतुः सम्बन्धित विषय में पांच वर्षों का प्रवक्ता या एसिसटेंट प्रोफेसर के रूप में शिक्षण अनुभव अथवा मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम आठ शोध पत्रों सहित केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषदों अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय सस्थाओं में नियमित सेवा के कुल पॉच वर्षो का अनुसधांन अनुभव।

सहायक–आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) के पद हेतुः शिक्षण अथवा अनुसंधान का कोई अनुभव अपेक्षित नहीं है।

(ग) अधिमानी अर्हता–

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित विषय में आयुर्वेद विद्यावारिधि (पी0एच0डी0)।
2. सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर शैक्षणिक अनुभव।
3. संबंधित विषय में अध्यापन अनुभव को वरीयता प्रदान की जायेगी।
4. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशन।
5. कम्प्यूटर एवं संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान।

(घ) आयु सीमा–

सहायक–आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) के पद हेतु अधिकतम 45 वर्ष

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(2) पद कोड संख्या 15 से 19 तक अंकित पदों हेतु न्यूनतम–अनिवार्य/अधिमानी अर्हता का विवरण निम्नवत् है :–

(क) अनिवार्य अर्हता–

1. Good academic record with at least 55% marks or, an equivalent grade of 'B' in the 7 point scale with letter grades O,A,B,C,D,E and F in the Master Degree in concerned subject (for Biotechnology- Biotechnology, for Phytochemistry- Organic Chemistry/ Pharmacognosy/Phytochemistry, for Clinical Pharmacology– Clinical Pharmaclogogy, for Cellular and Molecular Biology– Life Sciences, for Human and Ayurvedic Biology- Life Sciences / Chemical Sciences with compulsory subject of Zoology at graduation level) from an Indian University, or an equivalent degree from accredited foreign University.
2. a) Qualification in the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC/ CSIR/ ICMR/ DBT or a similar test accredited by the UGC like SLET/SET.
b) Candidates who have been awarded the Ph.D. degree in the relevant areas in accordance with the University Grants Commission (regulation 2009) shall be exempted from the requirement of qualification in the NET. However, such candidates must produce a certificate from their University/ Institution that their PhD is as per 2009 regulation / 2nd amendment / 3rd amendment on minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff in Universities and Colleges.

(ख) अधिमानी अर्हता–

1. Distinct scholarship from national or international funding agency.
2. Postdoctoral research experience from renowned national/international university/institution.
3. Experience of multidisciplinary research with good publication record in SCI indexed journals.
4. Research experience in the area of Ayurveda and other relevant field with good publication records.

(ग) आयु सीमा– अधिकतम 45 वर्ष ।

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(3) चिकित्सालय एवं तकनीकी संवर्ग हेतु –

i. उप चिकित्साधीक्षक (पद कोड 20)

(1) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।

(2) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की अनुसूचियों में सम्मिलित नैदानिक विषय अथवा विशिष्टता में स्नातकोत्तर उपाधि।

(3) कुल 10 वर्षों का नैदानिक (क्लीनिकल) अनुभव

(4) आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष

(5) अभ्यर्थी को किसी भी केन्द/राज्य भारतीय चिकित्सा परिषद में वैध पंजीकरण अनिवार्य है।

ii. आकस्मिक चिकित्साधिकारी/ आवासीय चिकित्साधिकारी/ हाऊस ऑफिसर/ क्लीनिकल रजिस्ट्रार (पद कोड 21)

(1) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।

(2) आयु सीमा अधिकतम 42 वर्ष।

(3) अभ्यर्थी को किसी भी केन्द/राज्य भारतीय चिकित्सा परिषद में वैध पंजीकरण अनिवार्य है।

(4) आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधिधारक नैदानिक (क्लीनिकल) अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

iii. पद कोड संख्या 22 से 29 तक अंकित पदों हेतु न्यूनतम–अनिवार्य/अधिमानी अर्हता का विवरण निम्नवत् है :–

(क) अनिवार्य अर्हता–

(1) भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 उपाधि।

(2) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर (एम0डी0/एम0एस0) उपाधि।

(3) आयु सीमा अधिकतम 42 वर्ष।

(4) अभ्यर्थी को किसी भी केन्द/राज्य भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में वैध पंजीकरण अनिवार्य है।

iv. डेन्टिस्ट (पद कोड–30)

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दन्त चिकित्सा में स्नातक उपाधि (बी0डी0एस0)

(2) आयु सीमा अधिकतम 42 वर्ष।

(3) अभ्यर्थी को किसी भी केन्द/राज्य भारतीय दन्त परिषद में वैध पंजीकरण अनिवार्य है।

(4) स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

v. माइक्रोबायोलॉजिस्ट (पद कोड 31)

1. मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय से माइक्रोबायोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।

vi. अनुदेशक (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) (पद कोड 32)

1. मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।

vii. फिजियोथेरेपिस्ट (पद कोड–33)

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि (बी0पी0टी0)
(2) एम0पी0टी0 उपाधि धारकों को वरीयता प्रदान की जायेगी।
(3) उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में वैद्य पंजीयन आवश्यक होगा।
(4) संबंधित पद पर पूर्व से शासकीय संस्थाओं में कार्यअनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

viii. स्टाफ नर्स (पद कोड 34)

1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में आयुर्वेदिक उपचारिका का 03 वर्ष 06 माह का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो अथवा
3. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में जी0एन0एम0 का 03 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं स्टेट नर्सिंग काउन्सिल, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।

ix. ओ0टी0 नर्स (पद कोड 35)

1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में आयुर्वेदिक उपचारिका का 03 वर्ष 06 माह का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो अथवा
3. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में जी0एन0एम0 का 03 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं स्टेट नर्सिंग काउन्सिल, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।

x. मिडवाईफ (पद कोड 36)

1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में आयुर्वेदिक उपचारिका का 03 वर्ष 06 माह का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो अथवा
3. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में ए0एन0एम0 का 03 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं स्टेट नर्सिंग काउन्सिल, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।

xi. पंचकर्म नर्स (पद कोड 37)

(1) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में आयुर्वेदिक उपचारिका का 03 वर्ष 06 माह का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।
(3) पंचकर्म विभाग इकाई में कार्य अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

xii. एक्सरे टेक्नीशियन (पद कोड 38)

(1) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(2) मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय से एक्स–रे तकनीशियन का डिप्लोमा/डिग्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(3) अभ्यर्थी को किसी भी केन्द/राज्य पैरामेडिकल काउन्सिल में वैध पंजीकरण अनिवार्य है।

xiii. प्रयोगशाला तकनीशियन (पद कोड 39)

(1) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(2) मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय से प्रयोगशाला तकनीशियन का डिप्लोमा (डी0एम0एल0टी0) होना आवश्यक है।

(3) अभ्यर्थी को किसी भी केन्द/राज्य पैरामेडिकल काउन्सिल में वैध पंजीकरण अनिवार्य है।

xiv. एनालायटिकल कैमिस्ट (पद कोड 40)

1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय से एनालाटिकल कैमिस्ट्री का डिप्लोमा/डिग्री होना आवश्यक है।

xv. ओ0टी0 तकनीशियन (पद कोड 41)

1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय से ओ0टी0 तकनीशियन का डिप्लोमा होना आवश्यक है।
3. ओ0टी0 में कार्य अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

xvi. रजिस्ट्रेशन डाटा एन्ट्री आपरेटर (पद कोड 42)

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हों।
2. कम्प्यूटर टंकण(हिन्दी/अंग्रेजी) के लिये 7500 Key Depressions न्यूनतम गति निर्धारित होगी।
3. देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान।
4. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्पयूटर संचालन तथा ऑफिस मैनेजमेन्ट में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
5. संबंधित पद हेतु विश्वविद्यालय परिसर में कम्पयूटर पर टंकण परीक्षा ली जायेगी। बिना टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये कोई भी अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

xvii. स्टोर कीपर (पद कोड 43)

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हों।
2. कम्प्यूटर टंकण(हिन्दी/अंग्रेजी) के लिये 4000 Key Depressions न्यूनतम गति निर्धारित होगी।
3. देवनागरी लिपि में हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में शासकीय पत्राचार का ज्ञान।
4. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्पयूटर संचालन तथा ऑफिस मैनेजमेन्ट में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
5. संबंधित पद हेतु विश्वविद्यालय परिसर में कम्पयूटर पर टंकण परीक्षा ली जायेगी। बिना टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये कोई भी अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

3— सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण (मात्र पद कोड–33 से 43 तक लागू होगा) :– संबंधित अभ्यर्थियों को उक्त पदों हेतु आवेदन की निर्धारित अन्तिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण एवं वैधता होना अनिवार्य होगा। (शासनादेश संख्या –72/XXX (2)/2014 दिनांक 10 फरवरी, 2014) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010–3(1)/2010 दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार ''जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।''

4— वैवाहिक परिस्थिति – सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नही होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो:

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

5— आरक्षण :–

(1) ऊर्ध्व आरक्षण– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) क्षैतिज आरक्षण– उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा पूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय. समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अमुन्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी के लिए चिन्हित होगा।

(i)''पूर्व सैनिक'' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो–(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयम् की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं– (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोटः– पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

नोटः–

(1) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।

(2) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ियों लिए 04%, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित के लिए 10% तथा उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिये 3% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

(3) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(4) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के परिशिष्ट–01 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे परिषद्/नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करें।

(5) आरक्षण उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार होगा। चयन के समय उपलब्ध पदों के आधार पर ही आरक्षित/अनारक्षित श्रेणियों में चयन की कार्यवाही की जायेगी।

6— शुल्क :– अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ बैंक के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के नाम देय हो, अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि के अन्तर्गत जमा करना होगा, यह शुल्क प्रतिदेय नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के उपरान्त विश्वविद्यालय को प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

(क)शैक्षणिक संवर्ग एवं चिकित्सालय/तकनीकी संवर्ग के (पद कोड संख्या 01 से 33 तक) हेतु–

क0सं0	श्रेणी	शुल्क प्रतिपद
01	अनारक्षित (सामान्य)	रू0 2000/– मात्र
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	रू0 2000/– मात्र
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0)	रू0 1500/– मात्र
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0टी0)	रू0 1500/– मात्र

(ख) चिकित्सालय/तकनीकी संवर्ग के (पद कोर्ड संख्या 34 से 43 तक) हेतु –

क0सं0	श्रेणी	शुल्क प्रतिपद
01	अनारक्षित (सामान्य)	रू0 300/– मात्र
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	रू0 300/– मात्र
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0)	रू0 150/– मात्र
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0टी0)	रू0 150/– मात्र
05	उत्तराखण्ड विकलांग (दिव्यांग)/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक	रू0 150/– मात्र

7— राष्ट्रीयता सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:–

(क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी, हो जो भारत में स्थायी रूप से बसनें के आशय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महनिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें। परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

8— चरित्र:– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।
टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

9— विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा समस्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग की जायेगी तथा योग्य अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार/मेरिट के आधार पर अभिलेख सत्यापन के लिये आमंत्रित किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र, प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, जिस पर किसी प्रकार का दावा विश्वविद्यालय पर नहीं किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय द्वारा यथाआवश्यकतानुसार/नियमानुसार अर्ह अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जा सकती है।

10— जिन पदों लिखित परीक्षा होनी आवश्यक होगी, इस संबंध में पृथक से अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा।

- आवेदित पदों में से किन पदों पर साक्षात्कार पत्र निर्गत किया जाए का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।
- विश्वविद्यालय किसी भी समय प्रकाशित विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में विज्ञप्ति निरस्त कर सकता है।
- इस विज्ञापन में किये गये परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन अथवा दावा मान्य नहीं होगा।

11— अभ्यर्थीगण विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.uau.ac.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उपयोग में ला सकते हैं। निर्धारित प्रारूप पर ही अभ्यर्थी अपना आवेदन (परीक्षा शुल्क संबंधी बैंक ड्राफ्ट (मूलरूप में) एवं समस्त शैक्षिक/वांछनीय अर्हताओं के प्रमाण पत्रों के स्वःप्रमाणित प्रतियों सहित) कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्रावाला परिसर, देहरादून के नाम मात्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 13.02.2017 की अपरान्ह 05:00 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों को डाक टिकट लगा हुआ स्वः पता लिखा 03 लिफाफे संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेगें। उक्तानुसार निर्धारित समय–सीमा के उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा कालबाधित लिखवाते हुए संबंधित डाकघर से ही वापिस करा दिया जायेगा। विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे में अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से उपर विज्ञप्ति संख्या, आवेदित पद का नाम एवं पदकोड संख्या लिखा जाना अनिवार्य होगा।

12— आयु की गणना – आयु की गणना अनुसार 01 जनवरी, 2017 के आधार पर की जायेगी।

13— योग्य अभ्यर्थी प्राप्त न होने की दशा में पदों को रिक्त रखा जाएगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन/आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14— उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित पदों के सापेक्ष प्रत्येक अभ्यर्थी केवल एक पद पर ही आवेदन कर सकता हैं। एक से अधिक पदों पर आवेदन करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

15— इस विज्ञप्ति से संबंधित नवीनतम सूचनायें मात्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट के माध्यम से प्रसारित की जायेंगी, किसी अन्य माध्यम से नहीं। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

16— यदि कोई भी अभ्यर्थी अनैतिक माध्यम से परीक्षा/साक्षात्कार से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी को सम्पर्क स्थापित करता है तो उसका अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा संबंधित कार्मिक के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कुलसचिव